सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

की

अनुदान मांगों (2014-15)

पर

वित्त संबंधी स्थायी समिति

की

छठी रिपोर्ट

पर

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

लोकसभा सचिवालय का कार्यालय ज्ञापन सं. 15/2/1/2014/एफसी, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

वित संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

विषय सूची

टिप्पणीसिफारिश / .सं.क्र	मद	पृष्ठ सं.
I	बजटीय आबंटन	1
II	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	3-2
III	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)	-47
IV	सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस)	8-9
V	जनशक्ति की कमी	101-2
VI	परियोजनाओं की समय और लागत वृद्धि	13
VII	बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी)	14-15

वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश/टिप्पणी क्रम सं. I; पैरा सं. 1

<u>बजटीय आबंटन:</u>

समिति चिंता के साथ नोट करती है कि उसके द्वारा बार-बार सिफारिश किए जाने के बावजूद मंत्रालय बजटीय नियोजन और नियंत्रण की मौजूदा प्रणाली की कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र तैयार करने में विफल रहा है । एक तरफ तो कतिपय शीर्षों यथा सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक सेवाएं,मुख्य कार्य आदि के अंतर्गत बजटीय आबंटनों में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ, अग्रणी स्कीमों यथा भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना (आईएसएसपी) जो मंत्रालय के कार्यकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, के अंतर्गत निधियों का व्यापक अल्प-उपयोग देखने में आ रहा है। समिति यह नोट करके निराश है कि मंत्रालय बजट निधियों के समुचित उपयोग के संबंध में समिति के अनुदानों की मांगों (2013-14) संबंधी सत्तरवें प्रतिवेदनपर सरकार द्वारा की गई कार्रवाईपर अठहत्तरवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर कार्रवाईकरने में विफल रहा है । समितिकीमंत्रालय के हित में की गई सिफारिशों पर ध्यान देने में मंत्रालय की लगातार विफलता को देखते हुए, समितिपुन: एक बार यह सिफारिश करने के लिए बाध्य है कि मंत्रालय को अपेक्षित निधियों का व्यवहारिक मूल्यांकन करना होगा और उन्हें मंजूरी के अनुसार उपयोग करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना होगा । उपयोग न हो पाना एक दुर्लभ अपवाद होना चाहिए न कि एक सामान्य बात जैसा कि अब देखा जा रहा है । वर्ष-दर-वर्ष समिति के सामने वही कारण बताना मंत्रालय की छवि धूमिल ही कर सकता है और उसके उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है ।

उत्तर:

वर्ष 2015-16 हेतु, सुदृढ़ अनुमानों पर स्कीम-वार आबंटन किए गए हैं । व्यय की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है । यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि निधियां पूर्ण रूप से उपयोग की जांए । विशेष रूप से सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना हेतु सहायता के अंतर्गत व्यय कीसूक्ष्मता से निगरानी की जाती है तथा उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है । अभी तक की प्रगति पर विचार करते हुए, वर्ष 2015-16 की इस स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधिकी आवश्यकता है ।

वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश/टिप्पणी क्रम सं.II; पैरा सं. 2

<u>भारतीय सांख्यिकीय संस्थान</u>:

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के द्वारा "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई ।सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय कार्य की गुणवत्ता में इसका योगदान वैश्विक रूप से स्वीकार किया गया है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके पल्लवित होने तथा उत्कृष्टता में आगे बढ़ने के लिए इसकीअत्यंत सावधानीपूर्वक देखभाल की जानी चाहिए । समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि आईएसआई के मामले में वास्तविक व्यय 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमश: 41.38 करोड़ रुपए और 38.66 करोड़ रुपए जो संबंधित वर्षों के बजट अनुमानों, नामत: 42 करोड़ रुपए और 43 करोड़ रुपए क्रमश: से काफी कम था । तथापि, 2014-15 के बजट अनुमानों में आबंटन में वृद्धि करके इसे 76 करोड़ रुपए कर दियागयाहै और वह भी आईएसआई को योजना स्कीम अनुदान सहायता में वृद्धि और मंजूरी के पूर्वानुमान में आईएसआई, कोलकाता द्वारा निधियों के लगातार अल्प उपयोग के मद्देनजर, समिति राष्ट्रीय महत्व के और प्रसिद्ध संस्थान के निष्पादन को लेकर चिंतित हैं । अत:, समिति मंत्रालय से योजना स्कीम में वृद्धि और मंजूरी को शीघ्रतापूर्वक समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आग्रह करती है । चूंकि मंत्रालय ने बताया है कि आईएसआई के बजट अनुमान 2014-15 पर्याप्त हैं, अत: समिति मंत्रालय से आईएसआई की तेजपुर, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरू शाखाओं में शुरू किए गए लंबित कार्यों में तेजी लाने की अपेक्षा करती है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति में केवल कुछ ही महीने बचे हैं । इस संदर्भ में समिति यह भी सुझावदेती है कि आईएसआई के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग कियाजाए और अनुप्रयुक्त कार्यविधियों सहित संग्रहीत तथा संकलित सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयोग किया जाए ।

उत्तर:

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईएसआई को सहायता अनुदान का मूल्यांकन करने के लिए 1 अगस्त 2014 को सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। व्यय वित्त समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मंत्रालय ने आईएसआई (कोलकाता, दिल्ली और बंगलूरू) के कोर केंद्रो में से इतर केंद्रों की गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा

करने के लिए तीन अधिकारियों का एक समूह गठित किया । समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

संस्थान कोलकाता, बंगलूरू, दिल्ली और तेजपुर में विभिन्न निर्माण कार्यों को सौंपने के लिए ज़रूरी औपचारिकताओं का अनुपालन कर रहा है । कोलकाता में संस्थान के गुप्ता निवास कैम्पस में आर.सी.बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्यूरिटी तथा तेजपुर,असम में आईएसआई नॉर्थ ईस्ट सेंटर के निर्माण कार्य के लिए एनबीसीसी के साथ करार पहले ही कर लिया गया है । आयोजन और डिज़ाइन पूरे कर लिए गए हैं । स्थानीय नगरपालिकाद्वाराभवन योजनाओंकीमंजूरी प्राप्त करने का कार्य चल रहा है । सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पदों के सृजन का प्रस्ताव चलाया जा रहा है ।

मुख्यालय, कोलकाता में आर.ए.फिशर भवन और एस.एन.बोस भवन की बडी मरम्मत और नवीनीकरण तथा नए एकेडेमिक भवन निर्माण के लिए सरकारी ऐजेंसियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है । संस्थान कार्रवाईमें तेज़ी लाने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है । चयनित एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और विभिन्न कार्यकारी समूहों और समितियों में आईएसआई के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं ताकि आईएसआई में उपलब्ध विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जा सके ।

<u>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्या. ज्ञा. संख्या-जी-20017/1/2014-बीएंडएफ दिनांक 13.03.2015</u>

वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश/टिप्पणी क्रम सं.III; पैरा सं. 3

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) नियोजन, नीति-निर्माण और सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर आंकड़ा अंतराल को कम करने के लिए सांख्यिकी सृजन हेतु बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने के लिए जिम्मेदार है । समिति एनएसएसओ द्वारा संग्रहीत जीडीपी आंकडों की गुणवत्ता पर बढ़ते हुए संदेह से चिंतित है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों पर भी संदेह व्यक्त किया गया है । गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों पर भी संदेह जताया जाता है । अत:, समिति मंत्रालय से उसके कार्यों को सुगठित करने का अनुरोध करतीहै क्योंकि सरकार के लिए विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है । समिति यह सिफारिश भी करती है कि आंकड़ा संग्रहण के लिए मंत्रालय केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही नियुक्त करनेके लिए शीघ्रकदम उठाए । इस उद्देश्य के लिए आंकड़ा संग्रहण में शामिल क्षेत्र कार्मिकों, विशेषत: संविदागत कर्मियों हेतु अभिमुखता पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाए और संविदागत कर्मचारियों को उनको सौंपे गए कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक भी दिए जाने की आवश्यकता है । इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी का भी इष्टतम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी दक्षता और आंकड़ा संग्रहण की विश्वसनीयता में काफी वृद्धि होगी।

उत्तर:

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है ।एनएसएसओ आंकड़े एकत्र करता है और विधायन करता है तथा इन आंकड़ों पर आधारित परिणामों/अनुमानों को जारी करता है । समग्र घरेलू उत्पाद तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आंकड़ों से संबंधित अनुमान एनएसएसओ द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं ।

2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) आंकड़ों की गुणवत्ता आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विधायन के विभिन्न स्तरों पर बार-बार जांच व संवीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है । आंकड़ों की गुणवत्ता

सर्वेक्षण के आयोजन और आंकड़ों के विधायन में उपयुक्त वैज्ञानिक तरीकों को अंगीकार करके भी सुनिश्चित की जाती है । इस प्रयोजन के लिए एनएसएसओ प्रत्येक दौर में सर्वेक्षण साधनों तथा एनएसएस रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण परिणामों की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए भी प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों तथा अन्य विशेषज्ञों को शामिल करके एक कार्यदल का गठन करता है। सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार किसी भी सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एफओडी डाटा संग्रहीत करता है, एनएसएसओ का सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग सर्वेक्षण साधन तैयार करता है और रिपोर्ट भी तैयार करता है तथा एनएसएसओ का आंकड़ा विधायन प्रभाग इन समाजार्थिक सर्वेक्षणों के डाटा विधायन कार्य में संलग्नहै । आंकड़ा विधायन प्रभाग आंकड़ों की संवीक्षा, सत्यापन और वैधीकरण के माध्यम से डाटा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करता है । डाटा वैधीकरण की समूची प्रक्रिया में आंकडा विधायन प्रभाग जहां आवश्यक हो, स्पष्टीकरणों के लिए क्षेत्र संकार्य प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग से बारीकी से विचार –विमर्श करता है । आंकड़ा विधायन प्रभाग में डाटा वैधीकरण प्रक्रिया बहुत विस्तृत है और इसमें प्री-डाटा प्रविष्टि जांच, डाटा प्रविष्टि के उपरांत जांच होती है जो कम्प्यूटर एडिट रूल्स आदि के ज़रिए संदर्भ परीक्षण, कवरेज परीक्षण, हॉवलर (अंतिम मूल्य) परीक्षण,संगतता परीक्षण कम्प्यूटर परीक्षण के रूप में की जाती है ।उपभोक्ता व्यय पर लम्बी अनुसूचियों को भरते समय जवाब देने वालों की मेहनत को कम करके आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से एनएसएसओ ने, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर लम्बी प्रश्नावलियों को छोटा करने के लिए समाधान ढूंढने हेतु वर्ष 2013 में एक कोर समूह का गठन किया गया । एनएसएस सर्वेक्षण के 72वें दौर में उस पर प्रयोग किया जा रहा है ।

3. कम से कम गैर-प्रतिचयन त्रुटियों के साथ आंकड़ा संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित अवधारणाओं और परिभाषाओं के बारे में स्पष्ट और सही ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में फील्ड अन्वेषकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है । आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आंकड़ा संग्रहण के दौरान फील्ड अन्वेषकों के कार्य की निगरानी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण और संवीक्षा का भी एक तंत्र है ।

4. डाटा संकलन के लिए पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने के लिए एनएसएसओ डाटा संग्रहण में लगे नियमित कर्मचारियों की रिक्तियों पर उपयुक्त योग्यता वाले फील्ड अन्वेषक नियुक्त करता है। वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों (अर्थात कनिष्ठ पर्यवेक्षक स्तर) की रिक्तियों पर फील्ड कार्य में पर्यवेक्षण का लम्बा अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त फील्ड अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है । फील्ड अन्वेषकों को डाटा संग्रहण कार्य में लगाने से पहले उनको सैद्धांतिक और व्यावहारिक,दोनों ही मामलों मे विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा सर्वेक्षणों और सामान्य कौशलों में अधिकारियों के कौशल को बढाने के लिए संगत विषयों में उनको पर्याप्त रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रकार अखिल भारतीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण,क्षेत्रीय प्रशिक्षणसम्मेलन तथा अन्य अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यान्वित करके सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस प्रकार,गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य के सुचारू रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं ।

5. एनएसएसओ अपने सर्वेक्षणों में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है । डाटा संग्रहण/संकलन, वैधीकरण, जांच और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समुची कार्रवाई भी इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए वेब पोर्टलकेज़रिए की जा रही है । वार्षिक उद्योग फील्ड सर्वेक्षण कार्य करने के लिए फील्ड अधिकारियों को लैपटॉप दिए गए हैं ।

6. अपने सर्वेक्षणों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का विस्तार करने के अपने प्रयासों को ज़ारी रखते हुए एनएसएसओ द्वारा डाटा लिप्यंतरण व सम्पादन में त्रुटियों को कम करने तथा फील्ड से मुख्यालय को डाटा सीधे सम्प्रेषित करने के लिए विश्व बैंक से प्राप्त तकनीकी सहायता से कम्प्यूटर समर्थित व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है । इस सॉफ्टवेयर के परिणामस्वरूप बेहतर गुणवत्ता वाले डाटा मिलने और सर्वेक्षण के परिणामों को जारी करने में लगने वाले समय में कमी आने की संभावना है । सर्वेक्षण के बाद परिणाम जारी करने और डाटा की रिपोर्टों/प्रसारण में लगने वाले समय को कम करने के अलावा यह सॉफ्टवेयर कागज़ी अनुसूचियों के बदले आई.टी उपकरणों के उपयोग से आंकड़ों को सीधे ग्रहण करने की प्रणाली शुरू करेगा ।

7. हाल ही में एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) द्वारा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और एनआईसी के रिमोट सेंसिंग विंग के सहयोग से हरियाणा के रेवाड़ी शहर में शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस) मानचित्रों के डिजीटाइज़ेशन के लिए एक प्रायोगिक कार्य किया गया है। एनआईसी ने नोशनल इंवेस्टिगेटर यूनिट (।V यूनिट) मानचित्रों को सफलतापूर्वक स्केल्ड/जीओ रेफेरेंस्ड ।V यूनिटमानचित्रों में परिवर्तित कर दिया है, जिनमें सभी घटक यूएफएस ब्लॉकों को दर्शाया गया है । एनएससी के निदेशों के आधार पर लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए एक बड़ा प्रायोगिक अभ्यास शुरू किया गया है । सभी नोशनल ।V यूनिट मानचित्रों को स्केल्ड मानचित्रों में परिवर्तित करना प्रस्तावित बड़े प्रायोगिक अभ्यास के परिणामों पर निर्भर करता है ।

<u>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्या. ज्ञा. संख्या-जी-20017/1/2014-बीएंडएफ दिनांक 13.03.2015</u>

वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश/टिप्पणी क्रम सं.IV; पैरा सं. 4

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एसएसएस)

समिति नोट करती है कि "सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता" कार्यक्रम का उद्देश्य एक मजबूत सांख्यिकीय तंत्र का निर्माण करना है जिससे तुलनीय सांख्यिकीय संकेतकों के संबंध में एक मजबूत आंकड़ा सहायता तंत्र प्राप्त हो सकेगा । समिति यह भी नोट करती है कि दो केंद्र प्रायोजित स्कीमें - भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण योजना (आईएसएसपी) और स्थानीय स्तर विकास हेतु प्राथमिक सांख्यिकी (बीएसएलएलडी) को मिलाकर वार्षिक योजना 2014-15 में एक स्कीम, नामत: सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता (एसएसएस) कर दिया गया है। लेकिन, उपलब्ध तथ्यों से, समिति परियोजना के अब तक के निष्पादन से संतुष्ट नहीं है । परियोजना के अंतर्गत निधियों के व्यापक अल्प उपयोग के अलावा आंकड़ों के विभिन्न पहलुओं पर उठाए जारहे प्रश्न यह दर्शाते हैं कि सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं । समिति मंत्रालय से समयबद्ध तरीके से देश में सांख्यिकीय तंत्र के पुनरूद्धार के लिए आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने की आशा करती है । चूंकि आईएसएसपी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जुड़ी है, अत: यह और भी आवश्यक है कि इसका पूर्णत: निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के नमूनों में उतीर्ण हो सके । इस संदर्भ में, समिति मंत्रालय के इस विशिष्ट प्रश्न पर चुप्पी से आश्चर्यचकित है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है कि उन्होंने भारत द्वारा किए गए अंशदान को किस प्रकार खर्च किया है । समिति का मत है कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने भारत द्वारा किए जाने वाले अंशदान में वृद्धि के लिए कहा है, अत: यह आवश्यक है कि मंत्रालय को भारत द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए अंशदान के उपयोग का ब्यौरा मालूम हो । समिति की इच्छा हैकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों से जैसे ही यह ब्यौरा प्राप्त होता है, उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

उत्तर :

भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना जिसका नाम बदल कर अब " सांख्यिकी सुदृढीकरण के लिए सहायता (एसएसएस)" कर दिया गया है, का उद्देश्य राज्य सांख्यिकी प्रणालियों को मज़बूत करना है । कतिपय कार्यान्वयन संबंधी मामलों को हल करने के लिए मध्यावधि सुधार के रूप में इस समय कार्यान्वित कर रहे राज्यों का एक बड़ा पुनरीक्षण/संशोधन अभियान शुरू किया गया है । तदनुसार, चालू और नए राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को आबंटन की सूचना दी गई । निधियां इस समय कार्यांवित कर रहे राज्यों तथा एक बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद नए राज्यों को वितरित की जाएंगी । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी प्रणाली में सुधार करने के लिए सम्बंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ज़िम्मेदार है । यह परियोजना मार्च, 2017 की परियोजना अवधि के अंत तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी प्रणाली के सुदृढीकरण की दिशा में है । वर्तमान में कार्यान्वित कर रहे पांच राज्यों ने संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा तीन और राज्यों ने अपने समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दियाहै । तीन राज्यों के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं।

अस्सी प्रतिशत परियोजना को विश्व बैंक के ऋण से और बीस प्रतिशत को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया ।विश्व बैंक से लिए गए ऋण को स्वतंत्र प्रचालन के रूप में तैयार किया गया, जिसको एक ही किस्त में वितरित किया गया । जहां तक आईएसएसपी का सम्बंध है, अंतर्राष्ट्रीय निधियों के साथ आगे कोई सम्पर्क नहीं किया है, क्योंकि इसका कार्यक्षेत्र और अधिकार क्षेत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी प्रणाली तक सीमित है । परियोजना में फील्ड स्तर पर संयुक्त समीक्षा मिशन तथा परियोजना पूरी होने के बाद अंतिम मूल्यांकन सहित आवधिक समीक्षा की संकल्पना की गई है ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्या. ज्ञा. संख्या-जी-20017/1/2014-बीएंडएफ दिनांक 13.03.2015

वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश/टिप्पणी क्रम सं.V; पैरा सं. 5

जनशक्ति की कमी

समिति चिंता के साथ नोट करती है कि मंत्रालय के सभी विभागों/स्कंधों/प्रभागों में बहुत बड़ी संख्या में, 1675 रिक्तियां मौजूद हैं । जनशक्ति की कमी मंत्रालय में महामारी का रूप ले चुकी है जिस पर नियंत्रण पाने में मंत्रालय असमर्थ है । ऐसे समय पर, जब मंत्रालय को अपने आधुनिकीकरण में जुट जाना चाहिए था, वह जनशक्ति की कमी के आधारभूत मुद्दे पर उलझा हुआ है । यह अत्यधिक चिंता का विषय है, जैसा कि मंत्रालय ने स्वयंमाना है, किनियमित क्षेत्र कर्मचारियों की अनुपस्थिति में, यह संभव है कि संविदागत कर्मचारियों द्वारा एकत्रितआंकड़े क्षेत्रकर्मचारियों द्वारा एकत्रितकिए गएआंकड़ोंकी तुलना में गुणवत्ता स्तरीयनहीं होते ।समिति का मत है कि चूंकिमहत्वपूर्णआंकड़े एकत्रितकरने के लिए काफी बड़ी मात्रामें निधियों का निवेशहोता है, अत: मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वाराएकत्रितऔर प्रस्तुत किए गए आंकड़े उच्चतम गुणवत्ता वाले हों । इस उद्देश्य के लिए, जनशक्ति की कमी का अविलंब समाधान किया जाना चाहिए क्योंकि इसका एकत्रित आंकड़ों की समयबद्धता और विश्वसनीयता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । यदि मंत्रालय वर्तमान समयबद्धता और अपेक्षित जनशक्ति की एक-तिहाई संख्या के बिना कार्य कर रहा है तो इससेमंत्रालय और उसकेक्षेत्र कार्यालयों के कार्यकरण के बारेमेंगहरा संदेह उत्पन्न करता हैजो मंत्रालय के निष्पादन,उद्देश्यों और मानको को गंभीरतासेप्रभावित करेगा । इस तथ्य के मद्देनजर कि देश में किसी भी क्षेत्र में योग्य और प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, समितिमंत्रालय के इस तर्कसे आश्चर्यचकित है कि योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारणरिक्तियां नहींभरी जा सकी ।अत:, समिति मंत्रालय से इस मुद्दे को तुरंत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाने का आग्रह करती है ताकि वह संबंधित भर्ती नियमों आदि में आवश्यक परिवर्तन कर सके, यदि यह विभाग मंत्रालय के क्षेत्र प्रकार्यों हेतु उपलब्ध लोगों की नियुक्ति में बाधक है । उन्हें आंकड़ा संग्रहण संकलन में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि कार्य की दक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके । मंत्रालय कनिष्ठ सांख्यिकीय प्रचालक के वेतनमान उन्नयन के मामले को भी यथाशीघ्र उसकी तार्किक जांच के लिए उठाए ।

उत्तर:

दिनांक 01.06.2015 तक अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा में जनशक्ति की कमी तथा स्थिति निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	स्वीकृत पद	तैनाती	खाली पड़े पद
1	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	1756	1527	229
2	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	2195	1289	906

(i) संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा (सीजीएलई) 2012 में कर्मचारी चयन आयोग को 700 रिक्तियों की पुष्टि दी गई थी । तथापि वर्ष 2013 में कर्मचारी चयन आयोग से केवल 432 डोजियर प्राप्त हुए तथा नियुक्ति पूर्व की औपचारिकता पूरी करने के बाद 431 नियुक्ति आदेश जारी किए गए ।

(ii) सीजीएलई-2013 के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग को जेएसओ की 597 रिक्तियों की जानकारी थी । तथापि, आज की तारीख में कर्मचारी चयन आयोग से संस्तुत अभ्यर्थियों में से 510 के डोजियर प्राप्त हुए हैं तथा नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं (यथा - पुलिस सत्यापन, सम्मति तथा मेडिकल आदि) प्रक्रियाधीन है ।

(iii) इसके अतिरिक्त, सीजीएलई 2014 के लिए कर्मचारी चयन आयोग को जेएसओ की 381 रिक्तियों की जानकारी दी गई है । अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है ।

(iv) उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय के आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2015 द्वारा 1454 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) (ग्रेड वेतनमान-4200/- रुपए) की प्रोन्नति वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ) (ग्रेड वेतनमान 4600/- रुपए) में हुई है । इसके अतिरिक्त दिसंबर 2015 तक एसएसएस के 250 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों की वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) के तौर पर

नियमित प्रोन्नति किए जाने पर विचार किया जा रहा है, बशर्ते वे एसएसएस के भर्ती नियमों में निहित शर्तों को पूरा करते हों ।

(v) यह कहा जाता है कि आंकड़ा संग्रहण कार्य की जटिल प्रकृति तथा अन्य केंद्रीय ग्रुप 'बी' सेवाकी तुलना में कम वेतनमान के कारण अभ्यर्थी इस सेवा में नहीं आना चाहते हैं । वित्त मंत्रालय से कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के ग्रेड वेतनमान को 4200/- रुपए से 4600/- रुपए अर्थात् सीएसएस के सहायक तथा केंद्रीय उत्पाद, सीमा तथा आयकरनिरीक्षक के बराबर करने का अनुरोध किया गया था, किंतु इस पर सहमति नहीं मिल सकी तथापि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसएसएस पदधारकों के वेतनमानके उन्नयन का मामला पीएमओ/मंत्रिमंडल सचिवालय में उठाया है ताकि इस सेवा में उपयुक्त संख्या में अभ्यर्थियों की भर्ती हो सके और उन्हें इस सेवा में बनाए रखा जा सके ।

<u>सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्या. ज्ञा. संख्या-जी-20017/1/2014-बीएंडएफ दिनांक 13.03.2015</u>

वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश/टिप्पणी क्रम सं.VI; पैरा सं. 6

परियोजानाओं के समय और लागत में वृद्धि

समिति नोट करती है कि मंत्रालय का अवसंरचना और परियोजना निगरानीविभाग (आईपीएमडी) 16 क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी के लिए अधिदेशित है । आईपीएमडी धीमी/अपूर्ण परियोजनाओं के एक स्वतंत्र प्रहरी और निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है । समिति यह भी नोट करती है 1 जुलाई, 2014को मंत्रालय की निगरानी में केंद्रीय क्षेत्र की 729 चालू परियोजनाएं थी । चूंकि मंत्रालय ने प्रत्येक परियोजना की निगरानी में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, अत: समिति का मत है कि फिलहालमंत्रालयराजमार्ग, विद्युत और रेलवे संबंधी अपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करे जिसमें एनएचएआई, एनटीपीसी और रेलवे जैसे संगठन शामिल हैं और जहां लागत में बहुत अधिक और लगातार वृद्धि हो रही है जिससे राजकोष को भारी घाटा होता है । ऐसी केंद्रित निगरानी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लंबित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाने में बहुत मदद मिलेगी ।

उत्तर:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समय और लागत वृद्धि के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर निगरानी करता है । 1 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनटीपीसी और रेलवे द्वाराकार्यान्वित की जा रही क्रमश: सड़क परिवहन और राजमार्ग, विद्युत तथा रेलवे क्षेत्र की आधारी परियोजनाओं सहित केंद्रीय क्षेत्र की 750 चालू परियोनजाएं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की निगरानी में हैं । यह मंत्रालय समय अथवा लागत वृद्धिदर्शाने वाली परियोजनाओं की सूचनाउपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्या. ज्ञा. संख्या-जी-20017/1/2014-बीएंडएफ दिनांक 13.03.2015

वित्त संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

सिफारिश/टिप्पणी क्रम सं.VII; पैरा सं. 7

बीस सूत्री कार्यक्रम (टीपीपी)

समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय प्रतिवर्ष टीपीपी-2006 वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है । फिलहाल 2011-12 की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है और 2012-13 की रिपोर्ट मुद्रण में है । समिति पाती है कि इन समीक्षा रिपोर्टों को जारी करने में इतना विलंब समझ से परे है । यह तर्क ही अर्थहीन हो जाता है कि क्या कार्यक्रम संभव है और इन समीक्षा रिपोर्टों से क्या उद्देश्य प्राप्त होगा जब इन्हें इतने विलंब से जारी किया जा रहा है। अत:, समिति की इच्छा हैकि इन रिपोर्टों को जारी करने में समयांतराल न्यूनतम हो । समिति का विश्वास है सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में मंत्रालय के लिए यह कार्य असंभव नहीं होगा ।

उत्तर:

वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत आने वाली सभी 65 मदों की विश्लेषणात्मक समीक्षा है । विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सूचना के स्रोत विभिन्न केंद्रीय नोडल मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें हैं । चालू फार्मेट में और उपलब्ध संसाधनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित सूचना के विविध स्रोतों के कारण बीस सूत्री कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करने और जारी करने में विनिर्दिष्ट समय लगाना लाजमी है । बीस सूत्री कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट को तैयार करनेऔर जारी करनेके लिए परिणाम ढांचा दस्तावेजके तहत निर्धारित लक्ष्य आने वाले वर्ष का मार्च महीना है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बीस सूत्रीकार्यक्रम के तहत आने वाली तिमाही आधार पर मॉनीटर की गई मदों/पैरामीटरों के अनुसार अपेक्षित सूचना को फीड/अपडेट करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है । तथापि,यह वार्षिक रिपोर्ट के लिए अपेक्षित सूचना के केवल एक भाग को कवर करता है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं । अभी वर्ष 2012-13 और 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है और मंत्रालय की वेबसाइट mospi.nic.in पर उपलब्ध है । वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कार्या. ज्ञा. संख्या-जी-20017/1/2014-बीएंडएफ दिनांक 13.03.2015